Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding privilege motion against Sh. Rahul Gandhi .

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापित महोदया, मैं रूल - 223 के तहत इस सदन के सदस्य श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ दिए गए प्रिविलेज के ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । परसों जो कुछ भी इस पार्लियामेंट में हुआ, वह इस देश को जानने वाला है । यह देश जानता है कि यह जो लोक सभा है, स्पीकर उसके पीठाधीश पदाधिकारी होते हैं और जो आप जैसे सभापति हैं, वे पीठाधीश होते हैं, वे इस सदन को चलाते हैं कि सदन की गरिमा कैसे चलेगी । लेकिन परसों जिस तरह से उन्होंने खड़े हो कर इंस्ट्रकशन दिया और उस इंस्ट्रक्शन के आधार पर लोग खड़े हुए, जिस तरह से उन्होंने मौन व्रत धारण करवाया, इससे यह लोकतंत्र शर्मसार हुआ है । कांग्रेस लोकतंत्र की ऐसी ...* पार्टी है । ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ । ...(व्यवधान) मैं जानता था । ...(व्यवधान) मैं जानता हूँ – 223 नियम है ।

माननीय सभापति : एक मिनट, जब आपकी बारी आए, तब बोलिए, अभी आप बैठिए । डिस्टर्ब मत करिए ।

...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : सभापति महोदया, मैं जानता था कि इसी तरह के प्रश्न होंगे क्योंकि कल राकेश जी ने और संजय जायसवाल जी ने कहा । ...(व्यवधान) रमेश जी बैठिए । ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: रमेश और सोनकर जी, आप बैठिए ।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप भी ठीक वही हरकत कर रहे हैं । बोल रहे हैं, बोलने दीजिए ।

…(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : सभापति महोदया, मैं बताना चाहता हूँ कि इस पार्लियामेंट में क्या हुआ है, कांग्रेस ने लोकतंत्र का और इस संसद का कितना अपमान किया है और किस तरह के प्रिविलेज यहां हुए हैं । मैं कुछ उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूँ । इस सदन के सदस्य सन् 1963-64 में रामसेवक जी थे । उनसे एक गिलास पानी यहां लोक सभा में गिर गया, उनके ऊपर प्रिविलेज हो गया, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई । मनीराम बागड़ी जी बहुत फेमस सांसद थे, यहां उन्होंने केवल बैठे-बैठे एक बार स्पीकर के बारे में कोई टिप्पणी कर दी, उनके ऊपर प्रिविलेज हो गया और वे सदन से बाहर कर दिए गए । मधु लिमिये जी जो बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, उनके ऊपर दो प्रिविलेज हुए । सन् 1966 में मार्च में एक प्रिविलेज हुआ और नवंबर में एक प्रिविलेज हुआ । प्रिविलेज इस बात के लिए हुआ कि वे किसी एक विषय को ले कर कोर्ट में चले गए और स्पीकर ने कहा कि मेरी गरिमा के खिलाफ है और उन पर कार्रवाई हो गई । और तो और राज्य सभा में जब इमरजेंसी लागू हुई तो डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी जी जो बात करते थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस पीसी के आधार पर इस लोकतंत्र की ... * कांग्रेस ने केवल बाहर दिए हुए बयान के आधार पर उनके ऊपर प्रिविलेज कर दिया और उनको पूरी की पूरी राज्य सभा सदस्यता से निष्कासित कर दिया

सभापति महोदया, हम उस पार्टी के आदमी हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2014 तक मैं यहां सांसद था । एक दिन पार्लियामेंट बंद हो गयी । पार्लियामेंट बंद होने के बाद लालू प्रसाद जी, जो अब इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उन्होंने कहा कि हम मॉक पार्लियामेंट करेंगे क्योंकि किसी विषय पर, वेतन बढ़ाने के ऊपर हंगामा चल रहा था । उस मॉक पार्लियामेंट में हमारे कुछ सदस्य, गोपीनाथ मुण्डे जी, जो अब नहीं हैं, वे हमारे उप नेता थे, उन लोगों ने केवल उसमें भाग लिया । भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, राजनाथ जी ने यह तय किया कि जिन लोगों ने उस मॉक पार्लियामेंट में भाग लिया है, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और उनके ऊपर शो-कॉज़ हुआ । इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इस सदन की गरिमा को

बचाने के लिए आज सभी एम.पीज़. से, सभी दलों के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस घटना की भर्त्सना नहीं होनी चाहिए? यदि प्रोपागैण्डा के आधार पर, केवल सुब्रह्मण्यम स्वामी के बयान देने के आधार पर यदि उनकी राज्य सभा की सदस्यता जाती है तो क्या स्पीकर की डिग्निटी के खिलाफ बोलने के कारण उनकी सदस्यता नहीं जानी चाहिए ।

महोदया, इसलिए, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि मेरी पिटीशन को प्रिविलेज कमेटी में दीजिए और राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त कीजिए ।

इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत ।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam Chairman, please allow me to speak …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Suresh-ji, I will allow you to speak at your time, and not now.